

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

स०स० १/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) ०३-०६/१७ पार्ट-॥

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या 1489/2011 एवं सिविल रिभ्यू 344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या 32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सं० संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 एवं निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 1761 दिनांक 13.08.18 के निदेशानुसार निम्नलिखित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अन्तर्गत समूह 'घ' के रिक्त पदों के विरुद्ध वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 के आलोक में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 01 में 18000/- रु० मूल वेतन एवं समय-समय पर दिये गये अन्य भत्ता के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अधीन परिचारी (आदेशपाल) के पद पर बिल्कुल अस्थायी रूप से समायोजन/नई नियुक्ति करते हुए कॉलम-५ में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
१	२	३	४	५
१.	श्री दिवाकर कुमार सिन्हा दिनकर	श्री पारस लाल सिन्हा	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद।
२	श्री संतोष कुमार	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह	Gen	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।
३.	श्री विजय कुमार सिंह	श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।

1. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है किसी भी समय सेवा समाप्त किया जा सकता है।
2. शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन के क्रम में गलत पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान के समय समर्पित प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) में I. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र II. योग्यता का प्रमाण पत्र III. 26 फरवरी 2016 तक या उससे पूर्व व्यक्ति के रूप में नाम से (By Name Imperson) माननीय उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर करने का प्रमाण पत्र IV. तीन वर्षों तक लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्य करने का प्रमाण-पत्र एवं अन्य सभी सूचना उनकी जानकारी में सही है, का उल्लेख किया गया है।
4. पदस्थापित कार्यालय में योगदान के समय असैनिक -सह- शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करनी होगी।
5. यदि भविष्य में कोई भी सूचना/तथ्य असत्य या भ्रामक पाया जाएगा तो सेवा समाप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
6. इस नियुक्ति में राज्य में प्रवृत्त नई पेंशन योजना लागू होगी, पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जाएगी तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
7. अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी० कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करनी होगी।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/पटना, दिनांक

स०स० १/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) ०३-०६/१७ पार्ट-III

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषःगार, औरंगाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ३७५७

/ पटना, दिनांक १.११.१८

स०स० १ / उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) ०३-०६ / १७ पार्ट-III

प्रतिलिपि:- उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1761 दिनांक 13.08.18 के क्रम में/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना / अई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लग्जरी) १८  
उद्योग निदेशक,  
बिहार पटना।  
३१.१०.१८